

ता 13/12/18

2

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप./
अनुपस्थित/पीठाधीन अधिकारी
दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आपराधिक आदेश
दिनांक-31/1/20 को पेश हो।

31/01/20

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथमिक
ने निवेदन किया कि इस पत्रावली
का इम वाक पूर्व में निर्दिष्ट हो चुका
है अतः इस प्राप्ति को खारीज
करना चाहिए। वकील प्राथमिक के
निवेदन पर प्राप्ति आदेश निवेदन
एतद्गत को खारीज किया जाता
है। पत्रावली फौजदारी होकर
वकालत से कम होकर तकनीकी
वकील बनता है।

(राजीव सिंह)
उपजज अधिकारी
खण्डेला (सीकर)